झारखण्ड सरकार

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4 उपधारा (i) ख के तहत् प्रकाशित सूचनाएँ

1.	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची का संगठन एवं इसके कार्यों तथा कर्त्तव्यों की विवरणी	15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य के निर्माण के पश्चात् मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड सरकार का गठन किया गया जिसके नियंत्री पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार हैं। विभाग का कर्त्तव्य एवं दायित्व भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार विधान सभा एवं लोक सभा का चुनाव/उप चुनाव का निष्पादन करवाना। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाकर उसे अद्यतन करना मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र तैयार करवाना तथा समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत आदेश निर्देश एवं मार्गदर्शन के अनुरुप कार्य करना है। मतदाता सूची की तैयारी पुनरीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिये अनुमण्डल स्तर पर निर्वाचक निबंधन पदाधकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होते हैं जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन कार्यों के संचालन हेतु लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के लिये निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन कार्य के निष्पादन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से मतदान केन्द्र प्रभारी पदाधिकारी एवं पोलिंग पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।
2.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्यों की विवरणी	राज्य सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में कर्त्तव्य का निर्वहन करना मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना, लोक सभा एवं विधान सभा का भारत निर्वाचन आयोग के मार्ग दर्शन में चुनाव सम्पन्न करवाना।
3.	पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारित करने की कड़ी में निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी	निर्वाचन विधि निर्देशिका भाग I एवं II Compendium of instructions on Conduct of Elections जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51 एवं भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अनुरुप कार्य करना एवं किये गए कार्य के लिये भारत निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी होना।

4.	कार्यों के निर्वहन के लिये निरुपित मानक	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक का अनुसरण करते हुए कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करना।
5.	विधि, उपविधि, नियम, विनियम, विनिर्देश मैनुअल तथा उसके नियंत्रण के अधीन अन्यप्रवर्ग के अभिलेख जो उसके कर्मचारियों द्वारा कार्य के निर्वहन में उपयोग किये जाते हैं।	(i) निर्वाचन विधि निर्देशिका वोल्यूम I एवं II (ii) Compendium of instructions on Conduct of Elections. (iii) Hand Book of Returning Officers. (iv) Hand Book of Presiding Officers. (v) Compendium on ERS, EPIC, SLA & Computerization. (vi) Hand Book for Candidates (vii) Hand Book for Polling Agents (viii) Hand Book for Counting Agents (ix) Political Parties & Election Symbols (x) List of persons disqualified u/s 8A, 10A & 11A(i) of the representation of people Act. सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक पथ, नई दिल्ली से क्रय की जा सकती है। सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट (eci.nic.in) पर भी संधारित है।
6.	विभाग/संगठन अथवा इसके नियंत्रणाधीन धारित अभिलेखों की श्रेणी की विवरणी	(क) राज्य के अन्तर्गत सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अभिरक्षण (ख) विधान सभा एवं लोक सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों से संबंधित विवरण रखना (ग) राजनीतिक दलों की सूची
7.	इसकी नीतियों अथवा प्रशासन के आमजनों से विचार विमर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व की पूर्व की कोई व्यवस्था हो तो उसकी विवरणी	भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित नीतियों/मार्गदर्शन के आलोक में कार्य करना एवं उनका अनुपालन करना।
8.	संगठन को सलाह देने के उद्येश्य से गठित वैसे बोर्ड, पर्षद समिति अथवा अन्य ऐसे निकाय जो दो या उससे अधिक व्यक्तियों से गठित हो की विवरणी। यदि ऐसे बोर्ड पर्षद समिति या अन्य निकाय जो ग्राम जनों के लिए खुले हों तो उनके हेतू बैठक की कार्यवाही आमजनों को उपलब्ध है या नहीं की भी सूचना दी जाय।	इस विभाग के अन्तर्गत कोई बोर्ड पर्षद समिति या अन्य किसी निकाय के गठित नहीं है।
9.	पदाधिकारियों एवं कर्मियों की निर्देशिका	(क) श्री देवाशीष गुप्ता, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची। दूरभाष- 0651-2440077 (ख) श्री अशोक कुमार सिन्हा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधकारी-सह-संयुक्त सचिव,

		दूरभाष- 0651-2441551 (ग) श्री नंदकिशोर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, (घ) श्री विन्देश्वर पासवान, सरकार के अवर सचिव, दूरभाष- 0651-2441551
10.	संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मियों को विनियम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	सूची संलग्न
11.	योजना, प्रस्तावित व्यय एवं व्ययन से संबंधित प्रतिवेदन दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को उपलब्ध कराया गया बजट उपबंध	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के अन्तर्गत योजना मद का कार्य सामान्यत: नहीं होता है।
12.	उपबन्धित राशि एवं इस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभन्वितों की विवरणी सहित अनुदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विधि	इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।
13.	संगठन द्वारा प्राधिकृत किये गए रियायत अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करने वालों की विवरणी	इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।
14.	संगठन के पास इलेक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध सूचनाओं की विवरणी	सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट (www.jharkhand.gov.in/ceo) पर संधारित है।
15.	आमजनों को सूचना देने हेतू यदि कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई हो तो उसका विवरण। इस हेतू यदि कोई आमजनों के उपयोग हेतु पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष कायम किया गया हो तो उसका विवरणी भी दिया जाय।	इन्टरनेट के माध्यम से राज्य की मतदाता सूची निर्वाचित विधान सभा एवं लोक सभा के सदस्यों की सूची। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रयोग विधि से संबंधित सूचना प्रकाशित की गई है।
16.	जनसूचना पदाकिधारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	(क) लोक सूचना पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिन्हा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, सेक्टर-2, धुर्वा, राँची। दूरभाष - 0651-2441551 (ख) अपीलीय पदाधिकारी श्री देवाशीष गुप्ता, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची। दूरभाष - 0651-2440077 ई-मेल - ceo_jharkhand@eci.gov.in

17.	अन्य सूचना यदि कोई हो	<u>सूचना प्राप्ति के लिए प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क</u> (क) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के उपधारा(i) के अधीन सूचना प्राप्ति हेतू प्रत्येक आवेदन 10/- (दस) रुपये के आवेदन शुल्क के साथ देय होगा। यह राशि नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट या वैकरर्स चेक के रुप में होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक-7वि0वि0सं0-03-97/2005 (पार्ट-i) 3865 दिनांक-25/07/2006 के अनुसार मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवाएँ लघुशीर्ष 118 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियाँ शीर्ष में जमा की जाएँगी। (ख) अधिनियम की धारा 7 उपधारा(i) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क देय होंगे।

संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मियों को विनियम अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था सहित प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मूल वेतन
(1)	(2)	(3)
1	श्री देवाशीष गुप्ता, भा0प्र0से0, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव	79000
2	श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	51080
3	श्री नंद किशोर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उप सचिव	
4	श्री विन्देश्वर पासवान, सरकार के अवर सचिव	33150
5	श्री जयशंकर झा, प्रशाखा पदाधिकारी	31790
6	श्री विनोद कुमार वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी	24490
7	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, नं0-2, आप्त सचिव	29070
8	श्री सलीम अख्तर, आप्त सचिव	29070
9	श्री रंजन कुमार, सहायक	21970
10	श्री अरुण प्रकाश सिंह, सहायक	21970
11	श्री विनय कुमार, सहायक	19930
12	श्री रघुनाथ ठाकुर, निजी सहायक	18830
13	श्री महेश प्रसाद, निजी सहायक	18830
14	श्री सुबोध कुमार वर्मा, टंकक	17740
15	श्री बाल्मिकी कुमार साव, दिनचर्या लिपिक	10210
16	श्री बबिता रानी, दिनचर्या लिपिक	10210
17	श्री कुमुद पाण्डेय, चालक	7970
18	श्री श्याम कुमार पासवान, अनुसेवक	8310
19	श्री अर्जून ठाकुर, अनुसेवक	8310
20	श्री योगेन्द्र गागराई, अनुसेवक	8310
21	श्री मुंशी राम, अनुसेवक	8190
22	श्री शंभू नारायण राय, अनुसेवक	8190
23	श्री रामअवधेश सिंह, फर्रास	8190

इसके अलावा मकान किराया भत्ता, मं0 भत्ता आदि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय है।